न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

नानीदेवी पत्नी मुकेश जाति मेहतर
निवासी परबतसर

1. कैलाश पुत्र गोरधन मेघवाल
2. कोयलीदेवी पत्नी गोरधन मेघवाल
3. नोरतमल पुत्र गोरधन मेघवाल
4. बाबूलाल पुत्र गोरधन मेघवाल
5. राजुलाल पुत्र गोरधन मेघवाल
6. शिशुपाल पुत्र गोरधन मेघवाल
7. दीनदयाल पुत्र माधुराम मेघवाल
8. बंशीलाल पुत्र माधुराम मेघवाल
9. भंवरी पत्नी माधुराम मेघवाल
   निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
10. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत :– घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री कन्हैयालाल आचार्य अधिवक्ता वादीनी

मुकदमां नम्बर :– 2021/26 निर्णय दिनांक :– 13.09.2021

निर्णय

1. वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल आर्चाय ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम हरिपुरा के खसरा नम्बर 78 रकबा 2.10 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसके वादीनी व प्रतिवादीगण 1 से 9 रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है, तथा सभी की संयुक्त खातेदारी है विवादित भूमि में वादीनी 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज है, वादीनी अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवार कर अपने हिस्से की अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।
2. वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 9 के सम्मन दो बार भिजवाये जाने लेने से इन्कार किया तथा चस्पा करने से भी इन्कार किया है जिसके बावजूद बार – बार अवाज लगाये जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादीनी स्वंय एवं गवाह जालाराम व अब्दुल शरीफ के बयान लिये गये। वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।
3. उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी प्रदर्श– 1 सम्वत 2075–78 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम हरिपुरा के खसरा नम्बर 78 रकबा 2.10 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा वादीनी को तथा 1/24 हिस्सा प्रत्येक प्रतिवादीगण का खातेदारी में दर्ज है वादीनी व

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रतिवादीगण उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें वादीनी अपने 1/2 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है, जिसका वादीनी को कानूनी अधिकार है। प्रतिवादीगण को दो बार सम्मन भिजवाये जाने बाद भी लेने से तथा आबाद मकान पर चस्पा करने से दोनों ही बार इन्कार किया है जिसके बाद भी एक माह तक इन्तजार करने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 04.08.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई है प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पर किसी प्रकार का एतराज या उज्र नहीं किया है, तथा वादीनी 1/2 हिस्से की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीनी का वाद दिनांक 11.08.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को ग्राम हरिपुरा के खसरा नम्बर नम्बर 78 रकबा 2.10 हैक्टयर भूमि में वादीनी के 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तहसीलदार परबतसर उभय पक्षकारान को विधिवत रूप से सूचित कर पक्षकारान के रूबरू आप स्वंय मौके पर जाकर राजस्व मण्डल के प्रावधानों अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुरूप कुर्रेजात (बंटवारा प्रस्ताव) रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर ने उभय पक्षकारो को विधिव रूप से सूचित कर पक्षकारो की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्रांकः भू.अ./2021/2083 दिनांक 01.09.2021 के द्वारा पेश की है। जिसका वकील वादी ने अवलोकन कर समझ कर सही होना स्वीकार किया है तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादीनी की अलग होल्डिंग कायम करने का निवेदन किया है। जिससे वादीनी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा के खसरा नम्बर नम्बर 78 रकबा 2.10 हैक्टयर भूमि में से बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार दक्षिणी तरफ 1/2 हिस्से की भूमि वादीनी के हक हिस्से में घोषित की जाती है, तदनुसार वादीनी के हक हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम की जाकर तरमीम किया जोव। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)